कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ।

पत्र सं0: प-1156/एफ0एस0-07

दिनांकः मार्च 2 ,2021

सेवा में,

प्रबन्धक,
सुर्या पब्लिक स्कूल, माढरमऊ
लखनऊ।

विषयः- मेसर्स आर्दश समाज कल्याण संस्थान पता-गाटा सं0: 02 माढरमऊ विकासखण्ड,गोसाईगंज, लखनऊ का अग्निशमन विभाग से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अपने प्रार्थना दिनांकः **20.02.2021** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो उपरोक्त विषयक है।

उक्त बिषयक स्थल भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्था का एन0बी0सी0-2005 एवं भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से अग्निशमन अधिकारी, पी0जी0आई0 द्वारा निरीक्षण/ परीक्षण कराया गया तो निम्न तथ्य प्रकाश में आये:-

1- भवन में अधिष्टापित होजरील कार्यशील दशा में है।

2- भवन में प्राथमित अग्निशमन उपकरण उचित स्थान पर लगे है व कार्यशील दशा में है।

3- विद्यालय में कार्यरत स्टाफ को समान्य अग्निशमन का प्रशिक्षण दिया गया।

अतः उपरोक्त अधिष्ठापित समस्त अग्निशमन व्यवस्था को सदैव कार्यशील दशा में रखे जाने व प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण कराये जाने की शर्त के साथ उक्त का नवीनीकरण किया जाता है।

2/3/21

(राजेन्द्र तिवारी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
लखनऊ

प्रतिलिपिः-

अग्निशमन अधिकारी, पी0जी0आई0, लखनऊ को सूचनार्थ।

PRINCIPAL
SURYA PUBLIC SCHOOL
Madharmau, Sultanpur Road
Lucknow

SURYA PUBLIC SCHOOL
Surendra Kumar Sahu
FOUNDER

प्रेषक,

आयुक्त,
लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र–2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति बिहार, नई दिल्ली।

पत्र संख्या: /सं0शि0नि0/आशु0/ 5027-32 /2010–11 दिनांक: 17-08- 2010

विषय: सूर्या पब्लिक स्कूल, माढरमऊ, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित करना है कि उपर्युक्त सन्दर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत करने में आपत्ति नहीं है :–

1. विद्यालय की पंजीकृत समिति का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगें और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद्/बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मॉग नहीं की जायेगी।
5. संस्था के शिक्षण तथा शिणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता–प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेंगें।
6. कर्मचारियों की सेवा–विनियमावली बनायी जायेगी और उन्हें सहायता–प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।
7. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय के अभिलेख निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रख जायेंगें।

क्रमशः/2

9 जनहित याचिका संख्या-483/2004 अविनीश मेहरोत्रा प्रति यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.04.2009 के अनुपालन में विद्यालय द्वारा, सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली-से-सम्बद्धता प्राप्त होने के पूर्व, यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्यालय का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप है एवं उसमें अग्निशमन यन्त्र स्थापित हो चुका है तथा स्टाफ अग्निशमन उपायों हेतु भलीभाँति प्रशिक्षित है।

10. उपर्युक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

2– उपर्युक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उपर्युक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(प्रशान्त त्रिवेदी)
आयुक्त
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या :/ 5027-32 /2009-10 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. शिक्षा सचिव (माध्यमिक शिक्षा), उत्तर प्रदेश, शासन।
2. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ।
4. निरीक्षक, ऑग्ल भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. प्रबन्धक, सूर्या पब्लिक स्कूल, माढरमऊ सुल्तानपुर रोड, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

(रवि प्रताप वर्मा)
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
षष्ठ मण्डल, लखनऊ।

SURYA PUBLIC SCHOOL
FOUNDER/MANAGER

PRINCIPAL
SURYA PUBLIC SCHOOL
Madharmau, Sultanpur Road
Lucknow